

प्रेषक,

श्री अशोक गौगुली,
संपुस्तक सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र 2 समुदाय केंद्र,
प्रौद्योगिकी नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 19 जून, 1996

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर ज्ञानस उत्तरकाशी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनपत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर ज्ञानस उत्तरकाशी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समग्र समग्र पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध संचालित में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इयजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15। संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता


प्राप्त अभासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुगम्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतों में रखा जायेगा ।
- 19। उपरोक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिस्थिति/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में समस्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की गई है तथा उन्हें मानक-नुसख वेतन दिया जा रहा है तथा कोई भी पाठ्यक्रम कर्मचारी नियुक्त नहीं है ।

3- उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


 अशोक गांगुली
 संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 1318111/15-7-1996 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक पौड़ी गढ़वाल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरकाशी ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर धानसू उत्तरकाशी ।

आशा से,

अशोक गांगुली
 संयुक्त सचिव ।